sent by mail

राजस्थान सरकार
निदेशालय गोपालन

पशुधन भवन परिसर, टोंक रोड़, जयपुर–302015
Phone. 0141-2740819, 2740519, 2740613, E-mail :- dir.dgs@rajasthan.gov.in

---

क्रमांक :– एफ.वी. 3( )निगो / गौपंनसु / रा.म. / दे.गो. / 2015 / 4930-63 दिनांक :– 16/10/15

समस्त जिला संयुक्त निदेशक / उप निदेशक
पशुपालन विभाग, राजस्थान

विषय :– गौशालाओं की लीज अवधि 20 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– कार्यालय राज्यमंत्री, गोपालन एवं देवस्थान विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्रांक 2735 दिनांक 01.10.2015 के साथ संलग्न प्राप्त राजस्व विभाग का परिपत्र सं. प0 6(30)राज–6 / 2000 / 6 दिनांक 15.09.15.

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान, जयपुर के प्रासंगिक परिपत्र द्वारा गौशालाओं की लीज अवधि 20 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष करने के सम्बन्ध में आदेश जारी किये गये है।

अतः शासन द्वारा जारी दिशानिर्देशों की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि जिले की पंजीकृत गौशालाओं को उक्त आदेश की एक–एक प्रति उपलब्ध करावें ताकि उनके द्वारा सम्बन्धित जिला कलक्टर को आवश्यकतानुसार लीज अवधि 30 वर्ष किये जाने के प्रस्ताव प्रेषित किये जा सकें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार– 2 पृष्ठ।

रजिस्ट्रार गौशाला

क्रमांक :– एफ.वी. 3( )निगो / गौपंनसु / रा.म. / दे.गो. / 2015 / दिनांक :–

प्रतिलिपिः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री, गोपालन एवं देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार का पत्रांक 2735 दिनांक 01.10.2015 के क्रम में सूचनार्थ।
2. शासन उप सचिव, गोपालन विभाग राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक, पशुपालन विभाग राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ।
4. समस्त अतिरिक्त निदेशक (संभाग), पशुपालन विभाग, राजस्थान को प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त दिशानिर्देशों की पालना सुनिश्चित कराने का श्रम करावें।

रजिस्ट्रार गौशाला

VO(R)
निर्देशानुसार कार्यवाही करावें
8/10/15

(40)

राजस्थान सरकार
कार्यालय राज्यमंत्री, गोपालन एवं देवस्थान विभाग

क्रमांकः रा.मं./गो.देव./2015/2735 जयपुर, दिनांकः 01-10-15

गोपालन राज. जयपुर
पत्र प्राप्ति 2598
दिनांक 8/10/15

निदेशक,
गोपालन विभाग
जयपुर, (राज0)

विषय :– गौशालाओं की लीज अवधि 20 वर्ष बढाकर 30 वर्ष करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के पत्र क्रमांक प. 6(30)राज–6/2000/6 दिनांक 15.09.2015 की छाया प्रति संलग्न कर निर्देशानुसार लेख हैं कि उक्त परिपत्र से समस्त गौशाला प्रबंधकों को अवगत करावें, जिससे वें संबंधित जिला कलक्टर द्वारा लीज अवधि 30 वर्ष किये जाने के प्रस्ताव प्रेषित कियें जा सकें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(मनीष गोयल)
विशिष्ट सहायक
मा0राज्यमंत्री

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक प0 6(30)राज–6/2000/16 जयपुर, दिनांक– 15/9/2015

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

परिपत्र

राजस्थान भू राजस्व (गोशाला को भूमि आवंटन) नियम 1957 के निमय 8 के उप नियम(3) में अधिसूचना क्रमांक एफ 6(30)राज–6/2000/5 दिनांक 09.04.2015 द्वारा संशोधन कर एक नवीन परन्तुक जोडा जाकर यह उपबन्धित किया गया कि कलक्टर कारणों को अभिलेखित कर लीज डीड 30 वर्ष अथवा जब तक पट्टेदार गौशाला में मवेशियों को रखने के प्रयोजनार्थ उपयोग करे अवधि जो भी कम हो, राज्य सरकार की अनुमति से कर सकेगा।

उक्त प्रावधान के क्रम में कतिपय जिला कलक्टर द्वारा यह मार्गदर्शन चाहा जा रहा है कि नियम 8(3) के अन्तर्गत जिन मामलों में लीज 20 वर्ष की अवधि के लिए निष्पादित है एवं उनमें 20 वर्ष की अवधि पूर्ण नही हुई है उनकी अवधि तीस वर्ष तक बढाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश हो रहे है, के संदर्भ में अधिसूचना दिनांक 09.04.2015 के अनुसरण में लीज डीड की अवधि 20 वर्ष से 30 वर्ष के लिए नवीनीकरण की जावे या नहीं।

अधिसूचना दिनांक 09.04.2015 द्वारा किए गये संशोधन की मंशा यह है कि भारतीय जीव जन्तु बोर्ड चैन्नई उन गौ–शालाओं को अनुदान देता है जिनकी अवधि तीस वर्ष है। जिन गौशालाओं की लीज बीस वर्ष है, वह अनुदान हेतु पात्र नही है।

यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन गौशालाओं की लीज 20 वर्ष की है और उनकी लीज अवधि 20 वर्ष पूर्ण नही हुई है, उसके उपरान्त भी वह लीज अवधि 30 वर्ष कराना चाहते हैं तो उसे बढाकर 30 वर्ष कर दिया जाये। 30 वर्ष की लीज अवधि करने से पूर्व राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करें।

भवदीय,

(डॉ कुन्ज बिहारी पण्ड्या)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय राजस्व विभाग (स्वतंत्र प्रभार)।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, राजस्व सचिव,।
5. निजी सचिव, विशिष्ठ सचिव, राजस्व सचिव,।
6. निबंधक राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।
7. निर्देशक सूचना, एवं जनसम्पर्क निदेशालय जयपुर।
8. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव